न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—62/20 (2020/00099) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—देवीलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—पन्नालाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—शंकरलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कन्हैयालाल पिता हीरालाल सुथार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—तहसीलदार एंव पदेन उपपंजीयक तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः—18.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 की पैतृक मौरूषी कृषि आराजियात खाता संख्या 782 में अकिंत आराजी संख्या 2081 रकबा 0.18 है0, 2083 रकबा 0.18 है0, 2263 रकबा 0.17 है0 , 2264 रकबा 0.25 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.78 है0 तथा खाता संख्या 781 में अकिंत आराजी संख्या 2078 रकबा 0.11 है0, गे.मु. चाह भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 6/7 व विपक्षी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी पेश की गई एवं इसी तरह प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 की सामलाती संयुक्त परिवार की कृषि आराजी संख्या 2266 रकबा 0.76 है0 भूमि जिसमें से कुछ रकबा विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को विकय कर देने से आराजी संख्या 330/2266 रकबा 0.7368 है0 कायम किये गये। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 2266 सम्पूर्ण भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर है परन्तु सम्पूर्ण भूमिया प्रार्थीगण व विपक्षी 1 की सामलाती भूमि है और उक्त 4 बीघा भूमि प्रार्थीगणो व विपक्षी संख्या 1 के पिता की 4 बीघा भूमि सड़क में जाने से सन् 1983 में हमारे पिता के द्वारा विपक्षी 1 बड़ा भाई होने से विपक्षी संख्या 1 के नाम पर आवंटित करवाई जिसके साबिक नम्बर 903/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि है जिसमें प्रार्थीगण व विपक्षी का संयुक्त 1/3—1/3 हिस्सा है। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 18.09.2018 व 06.05.2020 को आपसी सहमति से इस बाबत् विभाजन की लिखापढ़ी की गई किन्तु विपक्षी संख्या 1 मुखर गया और बिना विभाजन कराये ही कुछ भूमि विपक्षी संख्या 2 को विकय कर दी। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगणो को बेदखल करने पर आमादा है अगर विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो सम्पूर्ण भूमियो को विकय कर प्रार्थीगणो को बेदखल कर देगा जिससे प्रार्थीगणो को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगणो के पक्ष में है। अतः मूल वाद के निर्णय तक विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगणो के कब्जे काश्त के 2/3 हिस्से को अन्य को रहन बय बक्षीश नही करे और शान्तिपूर्वक उपभोग उपयोग करने देवे। प्रार्थीगण के कब्जे में न तो स्वयं दखलदांजी करे न अन्य से करावे और रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता फारूख मोहम्मद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 व 3 फौरमल पक्षकार है जिनसे कोई अनुतोष नही चाहा गया है। विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में अंकन किया कि वादपत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए मुख्य कथन किया कि ग्राम

झड़ौल की हाल आराजी नम्बर 2266 रकबा 0.76 है0 भूमि विपक्षी कमांक 1 की तन्हा खातेदारी भूमि है जो दिनांक 12.01.1983 को आवंटित हुई जिसके साबिक नम्बर 903/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा थे जो नामान्तरणकरण संख्या 1178 से विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई जिसमें प्रार्थीगणो का कोई हक अधिकार नही है वाद के कॉलम 1 में वर्णित आराजियात ही प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 की मौरूषी भूमि है पैतृक भूमियो मे प्रार्थीगणो ने अपनी बहनो के नाम विरासत में दर्ज करा तत्पश्चात् अपने नाम हकत्याग करवा लिया आंवटित एवं पैतृक भूमि नजदीक होकर अलग अलग रूप से प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 काबिज है। विपक्षी संख्या 1 की भूमि सड़क के समीप होने से प्रार्थीगण जबरन हक लेना चाह रहे है जो कानुनन नही है। प्रार्थीगण का आराजी नम्बर 2266 पर कोई कब्जा नही है प्रार्थीगण काफी वर्षो से भीलवाड़ा निवासरत है प्रार्थीगण स्थगन आदेश की आड़ में बेदखल करने पर उतारू है प्रार्थीगणो का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही है न सुविधा सन्तुलन है और प्रार्थीगणो को कोई अपूरणीय क्षति नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी कमांक 1 शंकरलाल परिवार में सबसे बड़ा लड़का होने से पिता के जीवनकाल में पिता के द्वारा भूमि आवंटन करवाई जिस पर तीनो भाई अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 18.09.2018 एवं 20.05.2020 को लिखापढ़ी की गई जिसमें भूमि को शामिल मानते हुए लिखतम पर हस्ताक्षर किये है जबकि प्रकरण में प्रस्तुत जवाब पर अगुठा लगाया गया है। विपक्षी 1 के विरूद्व धारा 91 के प्रकरण 241/2014 आराजी नम्बर 3233/2259 रकबा 0.30 है0 पर अतिक्रमण है उस नोटिस पर भी विपक्षी के हस्ताक्षर है जबकि जवाब में अगुठा लगाया गया है जो न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगणो को बेदखल कर देगा तो अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आरआरडी 2001 (1) पेज 49, आरआरडी 2019 (1) पेज 271, आरबीजे 1998 (5) पेज 381, आरआरटी 2018–19 पेज 531 एवं आरबीजे 1996 (1) पेज 416 आदि पेश की गई।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवदेन किया कि वादीगण ने पैतृक व आंवटन शुदा भूमि को मिलाते हुए वाद पेश किया है जबकि हाल आराजी नम्बर 2266 विपक्षी 1 के नाम दिनांक 12.01.1983 को आवंटित हुई है जिसके साबिक नम्बर 903/2 थे। प्रार्थीगणो ने बहनो से मिलकर अपने हक में हकत्याग करा लिया प्रार्थीगणो ने जो लिखतम पेश की गई जो स्टाम्प 2018 का है उसमें हस्ताक्षर किये है उक्त स्टाम्प प्रकाश की शादी के लिये प्रकाश के ससुराजी को शादी से सम्बधित लिखापढ़ी करने के लिये दिया गया जो प्रार्थीगण द्वारा लाकर यह लिखतम की गई जो गलत है और उसके बाद 06.05.2020 को की गई लिखा पढ़ी से भी सहमत नही होने से विपक्षी 1 के द्वारा लिखतम को फाड़ दी गई। आज की तारीख में विपक्षी कमांक 1 आराजी नम्बर 2266 का खातेदार है जो विपक्षी की आवंटित भूमि है जिसमें प्रार्थीगण को दखंल करने का कोई हक नही है और तीनो बिन्दु विपक्षी 1 के पक्ष में है प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थी व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर अध्ययन किया तो पाया कि वादपत्र के कॉलम 1 में भूमि दोनो पक्षो की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें विपक्षी कमांक 1 का 1/7 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है एवं 6/7 हिस्सा प्रार्थीगणो के नाम से है प्रार्थीगण व विपक्षी 1 के 4 बहिने है और चारो ही बहिनो से हकत्याग प्रार्थीगणो के पक्ष में किया गया है। आराजी नम्बर 2266 के सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान यह कहा कि उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पिता के नाम की

भूमि सड़क में जाने से उसके बदले आंवटित की गई है किन्तु इस बाबत् पत्रावली में कोई रेकार्ड प्रस्तुत नही हुआ है जिससे प्रार्थीगणो के इस कथन को बल नही मिलता है। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये है जो संयुक्त खातेदारी भूमि पर लागु होते है विपक्षी की आवंटित शुदा भूमि पर नही। विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा जो बहस के दौरान तर्क पेश किया कि जिसमें कथन किया कि विपक्षी कमांक 1 हस्ताक्षर नही कर अंगुठा लगाता है और प्रार्थीगण के द्वारा जो पत्रावली में दिनांक 18.09.2019 एवं 06.05.2020 की जो लिखापढ़ी की गई है उसमें हस्ताक्षर जो विपक्षी के नही है। इस बाबत् प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा धारा 91 के प्रकरण संख्या 241/2014 जो विपक्षी 1 के विरूद्व है से नोटिस की प्रति प्रस्तुत की गई जिस पर विपक्षी 1 के हस्ताक्षर है और विपक्षी 1 के द्वारा उसके विरूद्व विचाराधीन प्रकरण को स्वीकार किया जिससे यह नही माना जा सकता है कि विपक्षी हस्ताक्षर नही करता है। इसके साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा यह निवेदन किया कि आराजी नम्बर 2266 सड़क के पास है और पैतृक भूमि पिछे है जिसमें जाने का एकमात्र रास्ता इस आराजी में होकर ही जाता है जिसको भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा बन्द किया गया है।

उपरोक्त विवरण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादपत्र के कॉलम 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 की पैतृक भूमि है और कॉलम 2 वर्णित भूमि विपक्षी कमांक 1 की आवंटित भूमि है जो सड़क के पास स्थित होना एवं पैतृक कृषि भूमि इसके बाद स्थित होना दोनो पक्षो के द्वारा अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आशिंक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हुँ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 आशिंक स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल के बैरून हल्के आबादी में आराजी संख्या 2081, 2083, 2263, 2264 एवं 2266 के रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई भी पक्ष एकदुसरे के कब्जे में नाजायज दखलदांजी नही करे एवं न अन्य से करावे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.08.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाडा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 13:44:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: